



## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र. % U • 78 - I-16

फुल्लन तनय पन्नालाल आदिवासी निवासी ग्राम कंजिया तह. बीना जिला सागर

..निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्व

म प्रशासन

......अनावेदक

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलैक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 08/अ-21/13-14 पारित आदेश दिनांक 30/11/13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

- 1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कंजिया स्थित भूमि खसरा क्र 119/3 रकवा 0.800 है. आवेदक को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसको भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए है। जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमित प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी राशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
  - 2. यह कि, कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
  - 3. यह कि, कलेक्टर को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे काबिल काश्त बनाने की

## R-4078-I/16 MHI-41012

28/11/

मार्वाक अग्निमाधक को सम्मा- सम्मा-पर आवाम अग्निवाई अर्ड, क्रेड अपरिष्ठ मही भावपक एवं आवाई महिन के उपलिष्ठ मही होने ने कारण प्रकाण अग्निम मिंदवी-में रगिरण स्मिरामारी ही

m